

स को जब किया है।

आनमंत्री स्व. श्री नेहरू

मा पर माल्यार्पण

के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री पंडित नेहरू की जयंती के अवसर पर गौराहे पर स्थापित उनकी प्रतिमा श्रीबी उपशमन प्रकोष्ठ प्रभारी भा रामदास गर्ग ने माल्यार्पण अवसर पर अन्य उपस्थित तमरिको ने भी प्रतिमा पर किया।

दरअसल लाइसेंस शाखा के पास ही पक्के लाइसेंस के लिए ट्रायल लिया जाता है। यहां पर कैमरे भी लगे हुए हैं लेकिन कैमरे इतनी ऊपर लगे हुए हैं कि पता नहीं चल पाता है कि ट्रायल आवेदक दे रहा है या कोई और। अब ट्रैक पर बदला किया जा रहा है यहां एक कैमरा इस तरह से लगाया जा रहा है जिससे यह रिकार्ड किया जा सके कि ट्रायल आवेदक ही दे रहा है या नहीं।

इंदौर में प्लास्टिक कारखाने में आग

इंदौर (नगर संवाददाता)। मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में एक प्लास्टिक कारखाने में भीषण आग लग गई। आग पर लगभग छह घंटे की मशकत के बाद काबू पाया जा सका।

दमकल सूत्रों के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड स्थित एक प्लास्टिक कारखाने में कल रात आग लगने की सूचना मिली। दो दर्जन से अधिक दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे। करीब 25 टैंकर पानी की मदद से छह घंटों में आग पर काबू पाया गया। सूत्रों ने बताया कि कारखाना प्रबंधन हादसे में हुए नुकसान का आंकलन कर रहा है। घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं।

किया। स्पष्ट नहीं हुए हैं।

विभोर हुए



को शाल, श्रीफल अभिनंदन पत्र ह व मालवी पगडी पहनाकर उनका न किया। कार्यक्रम का संचालन मदत परमालिया ने किया आभार माजाद ने माना।

जमानती वारंट तामील

इंदौर। पुलिस पूर्व क्षेत्रद्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में 3 गैर जमानती, 10 गिरफ्तारी तथा 97 जमानती वारंट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारंट तामील कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी। पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में 7 गैर जमानती, 11 गिरफ्तारी तथा 62 जमानती वारंट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणों में जारी किये, यह वारंट तामील किये गये।

चेक अनादरण के प्रकरण में आरोपी को अर्थदंड एवं 6

माह का सश्रम कारावास

इंदौर। न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखते हुए आरोपी गजेन्द्र वानखेडे को 8 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड एवं सश्रम कारावास की दंडाज्ञा यथावत रखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। प्रकरण अनुसार आरोपी गजेन्द्र वानखेडे पिता स्व ओंकार वानखेडे पता नंदनगर के विरुद्ध महादेव आर्जुल पिता विठ्ठलराव आर्जुल निवासी कन्नू पटेल की चाल, जगजीवनराम नगर ने चेक अनादरण का प्रकरण न्यायिक दंडाधिकारी पीठासीन अधिकारी निहारिका सिंह के यहां प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा फौजदारी प्रकरण में गजेन्द्र वानखेडे को आरोपी बताते हुए चेक राशि रुपये 7 लाख के चेक के रुपये 8 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदंड से 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया था।

श्री भोमियाय देव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

इंदौर। श्री हींकारगिरी जैन श्वेताम्बर तीर्थ एयरपोर्ट बिजासन रोड इंदौर में 16 नवम्बर बुधवार को सुबह 8.45 बजे भोमियानाथ देव मंदिर की पावन प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूज्य अनुयोग आचार्य वीररत्न विजय जी महाराज की शुभ निश्राम में रखा गया है। इस मंदिर की प्रतिष्ठा के लाभार्थी हिम्मतलाल आघव गांधी होंगे।

सिनर्जी बिजकॉन लिमिटेड

(CIN : L45201 MP 1993 PLC007647)

पंजीकृत कार्यालय : 404, नवनीत प्लाजा, 5/2, ओल्ड पलासिया, इंदौर-452001, मध्यप्रदेश फोन/फैक्स : 0731-4202337

ई मेल-synergybizcon@gmail.com. Website : www.sbcl.co.in

30.06.2016 को समाप्त प्रथम तिमाही तक 30 सितम्बर 2016 को समाप्त अर्द्धवार्षिकी के स्टैण्ड अलोन गैर अंकेषित वित्तीय परिणामों का विवरण- (रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	30.09.2016 को समाप्त तिमाही (गैर अंकेषित)	30.09.2016 को समाप्त अर्द्धवार्षिक (गैर अंकेषित)	30.09.2015 को समाप्त तिमाही (गैर अंकेषित)
1.	संचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2294.57	5456.15	1320.37
2.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर अपरांत साधारण गतिविधियों से	(15.33)	10.84	15.58
3.	शुद्ध लाभ/(हानि) कर पश्चात अवधि का (असाधारण मदों के पश्चात्)	(15.33)	10.84	15.58
4.	इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य प्रत्येक रु. 10)	1232.50	1232.50	1232.50
5.	रिजर्व (गत वर्ष के वित्तीय स्थिति विवरण पत्रक में दर्शाये पुनः आंकलित रिजर्व को छोड़कर)*	-	-	-
6.	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व) (प्रत्येक रुपये 10/-)			
	(क) बेसिक ईपीएस	(0.12)	0.09	0.13
	(ख) डाइल्यूटेड ईपीएस	(0.12)	0.09	0.13
7.	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद)			
	(प्रत्येक रुपये 10/-)			
	(क) बेसिक ईपीएस	(0.12)	0.09	0.13
	(ख) डाइल्यूटेड ईपीएस	(0.12)	0.09	0.13

* रिजर्व (पुनर्गणित रिजर्व को छोड़कर) 31.03.2016 को रुपये 813.39 लाख थे।

नोट्स- उपरोक्त वर्णित पत्रक स्टॉक एक्सचेंज में सेबी (लिस्टिंग ऑब्जेक्शन एण्ड डिस्कलोजर रिक्वायमेंट्स) रेग्युलेशन 2015 के रेग्युलेशन 33 के तहत दायर विस्तृत तिमाही/अर्द्धवार्षिक गैर अंकेषित वित्तीय परिणामों का सार है। तिमाही/अर्द्धवार्षिक गैर अंकेषित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.cse-india.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.sbcl.co.in पर भी उपलब्ध है।

स्थान- सूरत

सिनर्जी बिजकॉन लिमिटेड तर्फ

हस्ता/-

धीरज भाई कोराडिया (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)

दिनांक 14/11/2016